प्रेस नोट
दिनांक 07.04.2024, मीडिया सेल
जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

11 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 02, थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने 04 व थाना नवाबगंज पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.04.2024, थाना कोतवाली देहात
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/2024, धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशुतोष सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 05.04.2024 को थाना को0 देहात क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 में तहरीर दी कि मेरी लड़की को विपक्षी आशुतोष सोनकर बहला-फुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.04.2024 को थाना को0देहात की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त आशुतोष सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त
01. आशुतोष सोनकर पुत्र रामकृपाल सोनकर नि0 ग्राम पकड़ी माफीपुरवा मौजा सुभागपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-126/2024, धारा 363,366 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. व0उ0नि0 खुश मोहम्मद।
02. उ0नि0 योगेंद्र सिंह।
03. हे0का0 शैलेंद्र राय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.04.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
श्री गंगाधर शुक्ला, श्रीमती संतोष ओझा, श्री शशी कुमार भारती, श्री यशोदानंदन त्रिपाठी, श्री शशि कुमार, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अनीता यादव, म0का0 ज्योति राजभर, म0का0 नेहा सिंह व म0का0 शाहिना बानो आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।